

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 19.11.2024

पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहांपुर द्वारा मुखविर की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहांपुर द्वारा मुखविर की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 19.11.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की थाना हाजा के मु0अ0स0 701/24 धारा 87/137(2)/ 65(2)m/115(2)/352/351(2) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मंजीत खुटार रोड पर लखपेडा बाग के पास कही जाने की फिराक मे खडा है। जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखविर द्वारा बताये स्थान से एक व्यक्ति को पकड़ लिया पकड़ हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली तो इस व्यक्ति ने अपना नाम मंजीत पुत्र नन्हेलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम धनसिंघापुर थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर बताया जो थाना हाजा का वाँछित अभियुक्त है। अतः अभियुक्त मंजीत उपरोक्त को इसके जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय 12.48 बजे हिरासत पुलिस लिया गया जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मंजीत पुत्र नन्हेलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम धनसिंघापुर थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

1. मु0अ0स0 701/24 धारा 87/137(2)/ 65(2)m/115(2)/352/351(2) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री शारंग चौहान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 2121 अंकित कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर